राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक: प0 1 (1) कार्मिक / (क–2) / 2016 दिनांक 15 JUL 2016

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव / प्र0 शासन सचिव / शासन सचिव / वि0 शासन सचिव

2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर सहित)।

परिपत्र

विषय :–राजकीय सेवा में / पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन।

राज्य के अधीन विभिन्न सेवाओं / पदों पर नियुक्ति से पूर्व चरित्र / पुलिस सत्यापन के संबंध में विभिन्न सेवा नियमों में प्रावधान विद्यमान हैं। इन प्रावधानों की सख्ती से पालना कराने के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र कमांक एफ. 7 (1) कार्मिक / क–2 / 77 दिनांक 31.08.77, कमांक एफ. 2 (22) कार्मिक / क–2 / 87 दिनांक 11.10.89 एवं परिपत्र दिनांक 30.09.1997 जारी किए हुए हैं। परन्तु, किन स्थितियों में अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अपात्र माना जाएगा एवं किन स्थितियों में पात्र, इस संबंध में कोई स्पष्ट दिशानिर्देश अभी तक प्रसारित नहीं किए जा सके हैं। इस कारण नियुक्ति अधिकारियों के समक्ष यह दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि वे आपराधिक प्रकरणों का रिकॉर्ड सामने आने पर अभ्यर्थी विशेष को नियुक्ति का पात्र मानें अथवा नहीं मानें। यद्यपि यह सामने आया है कि इस संबंध में गृह विभाग / पुलिस मुख्यालय द्वारा चरित्र सत्यापन करने वाले पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शनार्थ कुछ परिपत्र जारी किए हैं, किन्तु वे सभी नियुक्ति अधिकारियों का समान रूप–से मार्गदर्शन नहीं करते हैं।

अतः शासन में सभी स्तरों पर एकरूपता बनाए रखने के हित में, इस विषय में पूर्व में जारी तत्संबंधी सभी परिपत्रों / निर्देशों के अधिकमण में निम्नानुसार दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं :–

चरित्र सत्यापन के संबंध में विभिन्न सेवा नियमों में प्रावधान इस प्रकार हैं :–

Character. The character of a candidate for direct recruitment to the service must be such as to qualify him for employment in the service. He must produce

29/2016

a certificate of good character from the principal/Academic Officer of the University or College in which he was last educated and two such certificates written not more than six months prior to the date of application from two responsible persons not connected with the College or University and not related to him.

(1) A conviction by a court of law need not of itself involve the refusal of a certificate of good character. The circumstances of the conviction should be taken into account and if they involve no moral turpitude or association with crimes of violence or with a movement which has as its object the overthrow by violent means of the government as established by law, the mere conviction need not be regarded as a dis-qualification.

(2) Ex-prisoners, who by their disciplined life while in prison and by their subsequent good conduct have proved to be completely reformed, should not be discriminated against on grounds of their previous conviction for the purpose of employment in the seervice. Those, who are convicted of offences not involving moral turpitude or violence, shall be deemed to have been completely reformed on the production of a report to that effect from the Superintendent, After Care Home or if there are no such Homes in a particular district, from the superintendent of police of that district.

(3) Those convicted of offences involving moral turpitude or violence shall be required to produce a certificate from the superintendent, After Care Home, or if there is no such home in a particular district, from the superintendent of police of that district, endorsed by the Inspector General of prisons, to the effect that they are suitable for employment as they have proved to be completely reformed by their disciplined life while in prison and by their subsequent good conduct in an After Care Home.

इस संबंध में प्रकरण मान0 सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचने पर माननीय न्यायालय द्वारा दिल्ली प्रशासन बनाम सुशील कुमार (1996 (11) cc 605) में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "सेवा में नियुक्ति प्रदान करते समय अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्व

आचरण महत्वपूर्ण है। आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्धि अथवा दोषमुक्ति अर्थात् वास्तविक परिणाम इतना सुसंगत नहीं है जितना कि अभ्यर्थी का आचरण व चरित्र।"

सेवा नियमों की अपेक्षा यह है कि 'किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति दिए जाने या न दिए जाने के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं जिस पद पर नियुक्ति दी जानी है उस पद के कार्य की प्रकृति एवं गरिमा के अनुसार गुणावगुण पर निर्णय लेना चाहिए। पूर्व आचरण के आधार पर किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के योग्य या अयोग्य पाने का निर्णय करते समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रत्येक प्रकरण में अपराध की परिस्थितियों को भी ध्यान में रख कर अभ्यर्थी के आचरण का आंकलन करना चाहिए'

उक्तानुसार यह निर्विवाद है कि किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति दिए जाने/नहीं दिए जाने का निर्णय अंतिम रूप-से नियुक्ति प्राधिकारी को ही, सुसंगत सेवा नियमों को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण के आधार पर लेना होगा। तथापि कुछ प्रकरण ऐसी प्रकृति के होंगे जिनमें स्पष्टतः यह माना जा सकता है कि अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं है जबकि अन्य कुछ ऐसे प्रकरण भी होंगे जिनमें नियुक्ति से वंचित किया जाना किसी भी दृष्टि से उचित/न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। अतः नियुक्ति अधिकारियों के सामान्य मार्गदर्शनार्थ निदर्शन के रूप में ऐसी प्रकृति के प्रकरणों को यहां लेखबद्ध किया जा रहा है :-

1. **ऐसे प्रकरण/स्थितियां जिनमें नियुक्ति हेतु अपात्रता मानी जानी चाहिए:-**

यदि किसी भी अभ्यर्थी के विरूद्ध निम्न में से किसी भी प्रकार के अपराध के तहत प्रकरण अन्वीक्षाधीन (under trial) है अथवा दोषसिद्धि उपरांत सजा हो चुकी है, तो उसे राज्य के अधीन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माना जाना चाहिए :-

(i) नैतिक अधमता यथा छल, कूटरचना, मत्तता, बलात्संग, किसी महिला की लज्जा भंग करने के अपराध में अन्तर्वलितता (involvement) हो।

(ii) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम सं. 26) में यथापरिभाषित अवैध व्यापार में अन्तर्वलितता हो।

(iii) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं0 104) में यथापरिभाषित अनैतिक दुर्व्यापार में अन्तर्वलितता हो।

(iv) नियोजित हिंसा या राज्य के विरूद्ध ऐसे किसी अपराध में अन्तर्वलितता हो, जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं0 45) के अध्याय 6 में वर्णित है।

(v) भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 एवं 17 में यथावर्णित अपराधों में अंतर्वलितता हो।

(vi) भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148 (बलवा करना) के अपराध में अंतर्वलितता हो।

(vii) भारतीय दंड संहिता की धारा 498 A (स्त्रियों के प्रति आपराधिक दुर्व्यवहार–दहेज) के अपराध में अंतर्वलितता हो।

(viii) अजा/अजजा अधिनियम 1989 के तहत अपराध में अंतर्वलितता हो।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्रकार के अपराधों से संबंधित कोई भी सूचना जानबूझकर छिपाने वाले अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति हेतु अपात्र माना जाएगा।

2. **ऐसे प्रकरण/स्थितियां जिनमें अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु पात्र माना जाना चाहिए:–**

(i) जिन अभ्यर्थियों को आपराधिक प्रकरण के अन्वेषण में दोषी नहीं पाया गया हो तथा अन्वेषणोपरांत एफ.आर. स्वीकृत की जा चुकी हो।

(ii) जिन अभ्यर्थियों को किसी आपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया हो, तथा उस प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा अपील नहीं करने का निर्णय लिया जा चुका हो।

(iii) अभ्यर्थियों के ऐसे प्रकरण जिनमें न्यायालय द्वारा परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 का लाभ दिया जाकर परिवीक्षा पर छोड़ा गया हो। (दोषसिद्धि किसी निरर्हता से ग्रस्त नहीं/राजकीय सेवा/भावी जीवन पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं)।

(iv) अभ्यर्थियों के ऐसे प्रकरण जिनमें दोषी करार दिया जाकर किशोर अधिनियम की धारा 1 (1) (ए) का लाभ प्रदान किया गया हो।

समस्त नियोक्ता अधिकारीगण से अपेक्षा की जाती है कि वे अभ्यर्थियों के चरित्र/पुलिस सत्यापन के संबंध में नियुक्ति के समय संबंधित सेवा नियमों के प्रावधानों एवं इन दिशा–निर्देशों के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए समुचित निर्णय लेंगे। तथा उक्त प्रकृति के प्रकरणों को न तो अनावश्यक रूप–से लंबित रखेंगे और न ही कार्मिक विभाग को संदर्भित करेंगे।

(भास्कर ए0 सावंत)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मान0 मुख्यमंत्री राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव / निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिवगण।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

29/2016